क्रम-संख्या—636

पी० ३९९

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 29 दिसम्बर, 2000

पौष 8, 1922 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 2927/सत्रह-वि-1—1 (क) 20-1999

लखनऊ, 29 दिसम्बर, 2000

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1999 पर दिनांक 5 दिसम्बर, 2000 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 36 सन् 2000 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :—

दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1999

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 36 सन् 2000)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—(1) यह अधिनियम दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1999 कहा जायगा। संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे।

अधिनियम संख्या 2 सन् 1974 की धारा 125 का संशोधन

2—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 125 में,—

(क) उपधारा (1) में शब्द "पांच सौ रुपये" के स्थान पर शब्द "पांच हजार रुपये" रख दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :—

"(6) जहां इस धारा के अधीन किसी कार्यवाही में मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत हो कि भरण-पोषण के लिए दावा करने वाले व्यक्ति को उसके आलम्ब के लिए और कार्यवाही के आवश्यक व्यय के लिए तत्काल राहत की आवश्यकता है वहां मजिस्ट्रेट उसके आवेदन पर उस व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध भरण-पोषण के लिए दावा किया गया है, आदेश दे सकेगा कि वह कार्यवाही के लम्बित रहने के दौरान पांच हजार रुपये से अनधिक ऐसा मासिक भत्ता और ऐसी कार्यवाही का व्यय जैसा मजिस्ट्रेट युक्तियुक्त समझे, भरण-पोषण के लिये दावा करने वाले व्यक्ति को संदत्त करे और ऐसा आदेश भरण-पोषण के आदेश की भांति प्रवर्तनीय होगा।"

धारा 127 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 127 में, उपधारा (1) में, परन्तुक में शब्द "पांच सौ रुपये" के स्थान पर शब्द "पांच हजार रुपये" रख दिये जायेंगे।

आज्ञा से,
योगेन्द्र राम त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव।

No. 2927 (2)/XVII-V-1—1 (KA) 20-1999

Dated Lucknow, December 29, 2000

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Dand Prakriya Sanhita (Uttar Pradesh Sanshodhan) Adhiniyam, 1999 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 36 of 2000) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on December 5, 2000 :—

THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (UTTAR PRADESH AMENDMENT) ACT, 1999

(U. P. ACT NO. 36 OF 2000)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Code of Criminal Procedure, 1973 in its application to Uttar Pradesh.

IT IS HEREBY enacted in the Fiftieth Year of the Republic of India as follows :—

Short title, extent and commencement

1. (1) This Act may be called the Code of Criminal Procedure (Uttar Pradesh Amendment) Act, 1999.

(2) It shall extend to the whole of Uttar Pradesh.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint in this behalf.

Amendment of section 125 of Act no. 2 of 1974

2. In section 125 of the Code of Criminal Procedure, 1973, hereinafter referred to as the principal Act,—

(*a*) in sub-section (1), *for* the words "five hundred rupees" the words "five thousand rupees" shall be *substituted*;

(*b*) *after* sub-section (5), the following sub-section shall be *inserted*, namely :—

"(6) Where in a proceeding under this section it appears to the Magistrate that the person claiming maintenance is in need of immediate relief for his support and the necessary expenses of the proceeding, the Magistrate may, on his application, order the person against whom the maintenance is claimed, to pay to the person claiming the maintenance, during the pendency of the proceeding such monthly allowance not exceeding five thousand rupees and such expenses of the proceeding as the Magistrate consider reasonable and such order shall be enforceable as an order of maintenance."

Amendment of section 127

3. In section 127 of the principal Act, in sub-section (1), in the proviso *for* the words "five hundred rupees" the words "five thousand rupees" shall be *substituted*.

By order,

Y. R. TRIPATHI,

Pramukh Sachiv.